बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–32/2016– 1464 /कृ0, पटना, दिनांक 29/3/ 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2016–17 में SMAM योजनान्तर्गत केन्द्रांश मद से 1403.04 लाख (चौदह करोड़ तीन लाख चार हजार) रूपये एवं राज्यांश मद से 935.36 लाख (नौ करोड़ पैतीस लाख छत्तीस हजार) रूपये कुल 2338.40 लाख (तेइस करोड़ अड़तीस लाख चालीस हजार) रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में SMAM योजनान्तर्गत केन्द्रांश मद से 1403.04 लाख (चौदह करोड़ तीन लाख चार हजार) रूपये एवं राज्यांश मद से 935.36 लाख (नौ करोड़ पैतीस लाख छत्तीस हजार) रूपये कुल 2338.40 लाख (तेइस करोड़ अड़तीस लाख चालीस हजार) रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन नाम से संचालित की जा रही है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन अन्तर्गत कस्टम हायरिंग योजना, हाईटेक हब की स्थापना एवं चयनित ग्राम में कृषि यंत्र बैंक को प्रोत्साहित किया जायेगा। इससे कम कृषि शक्ति उपलब्धता वाले क्षेत्र में लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभ पहुँचेगा। कृषि यंत्र का मूल्य अधिक होने एवं जोत का आकार छोटा होने के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों को अति आधुनिक कृषि यंत्र क्रय करने में कठिनाई आती है। इस योजना को लागू करने से छोटे एवं मझौले जोत के कृषको को कम लागत मूल्य में आधुनिक कृषि यंत्र की सुविधा मिल सकेगी। परिणामस्वरूप किसान उचित समय पर शष्य क्रियाओं का निष्पादन कर सकेंगे, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के कार्यन्वयन हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का पत्र संख्या 3–1/2015 –M&T (I&P) दिनांक 01.09.2016 द्वारा केन्द्रांश सामान्य वर्ग में 1078.00 लाख रूपये एवं केन्द्रांश अनुसूचित जाति वर्ग में 322.00 लाख रूपये, इस प्रकार कुल 1400.00 लाख रूपये विमुक्त किया गया है। कुल योजना राशि का 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार के द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा व्यय किया जायेगा। बजट के अधीन भारत सरकार से योजना अंतर्गत विमुक्त केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश का आवंटन निर्गत किया जायेगा। दिनांक 16.01.2017 को प्रधान सचिव कृषि, बिहार, पटना की अध्यक्षता में SLEC की बैठक में योजना की स्वीकृति पर अनुमोदन प्राप्त है, दिनांक 15.02.2017 को मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत योजना के लिए राशि की निकासी हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से प्रावधान किया गया है।

Tripathi

28.3.2017

4. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना अन्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना एवं इसका कार्यान्वयन जीविका के ग्राम संगठन/कलस्टर फेडरेसन(CLF)/आत्मा से सम्बद्ध FIG (Farmers Intrest Group) नावार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक से सम्बद्ध किसान क्लब/स्वंय सहायता समूह(SHG)/पैक्स/व्यापर मंडल/उद्यमी/ यंत्र निर्माता के माध्यम से कराया जाना है। सम्बंधित संस्थानों से कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु जिला कृषि पदाधिकारी आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे। कार्यन्वयन अनुदेश वर्ष 2016–17 एवं जिलावार लक्ष्य राज्य स्तर से बाद में तैयार कर जिलों को उपलब्ध कराई जायेगी। 80% अनुदान वाले कृषि यंत्र बैंक को छोड़कर 40% अनुदान वाले कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए प्रगतिशील कृषको को भी योजना का लाभ दिया जायेगा।

5. कुल वार्षिक कार्य योजना (AAP) का 10% फ्लेक्सी फंड के रूप में 233.84 (दो करोड़ तेतीस लाख चौरासी हजार रूपये मात्र)की राशि कर्णांकित की गई है, जिससे मिनी रबर राईस मिल/पम्पसेट (इलेक्ट्रीक/डीजल) एवं सोलर/बिजली चालित जानवर(नील गाय/जंगली सुअर/बंदर इत्यादि) भगाने वाला बायो एकोस्टिक उपकरण का वितरण अनुदानित दर पर कृषकों के बीच की जायेगी।

6. इसी प्रकार कुल वार्षिक योजना (AAP) का 1% कुल 23.384 लाख (तेईस लाख अड़तीस हजार चार सौ रूपये मात्र) प्रशासनिक/आकस्मिकता मद के लिए कर्णांकित की गई है। जिसका व्यय राज्य एवं जिला स्तर से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु किया जायेगा।

7. कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम में पारदर्शिता लाने हेतु फ्लेक्सी फंड के तहत मिनी रबर राईस मिल/पम्पसेट(इलेक्ट्रीक/डीजल) एवं सोलर/बिजली चालित जानवर(नील गाय/जंगली सुअर/बंदर इत्यादि) भगाने वाला बायो एकोस्टिक उपकरण का वितरण कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन प्राप्त कर किया जायेगा।

8. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन अन्तर्गत कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त प्रवाह बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना के माध्यम से किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी हेतु विपत्र बी०टी०सी० फार्म–42 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर राशि अन्तरण जमा के माध्यम से बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना के पी०एल० खाता संख्या–278 में अंतरित की जायेगी। बामेति के द्वारा पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बामेति द्वारा कृषि निदेशक के परामर्श से जिलों को राशि विमुक्त की जायेगी। लाभुकों के बैंक खाता में सीधे RTGS के माध्यम से अनुदान की राशि भुगतान किया जायेगा।

9. कृषि निदेशक, बिहार द्वारा जिलों के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा योजना के कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

10. बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भी उनके द्वारा भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बामेति द्वारा इस योजना के लिए अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

11. वितीय वर्ष 2016–17 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

राशि (लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–113–कृषि इंजीनियरींग, उपशीर्ष– 0217–सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन मांग सं०–1, विपत्र कोड–P2401001130217, विषय शीर्ष 3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन–पी0एफ0एम0एस0 कोड–9505	1164.52	1164.52
2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00– लघुशीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0245–सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन, मांग सं०–1, विपत्रकोड P2401007890245, विषय शीर्ष 3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन–पी0एफ0एम0एस0 कोड–9505	224.49	224.49
2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष–0267–सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन मांग सं०–1, विपत्र कोड–P2401007960267, विषय शीर्ष 3106– सहायक अनुदान–गैर वेतन–पी0एफ0एम0एस0 कोड–9505	14.03	14.03
योग	**1403.04**	**1403.04**
राज्यांश		
2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–113– कृषि इंजीनियरींग, उप शीर्ष–0317–सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन् मांग सं०–1 विपत्र कोड–P2401001130317 विषय शीर्ष–3106– सहायक अनुदान–गैर वेतन–पी0एफ0एम0एस0 कोड–9505	776.35	776.35
2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–0345–सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन– मांग सं०–1, विपत्र कोड–P2401007890345, विषय शीर्ष –3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन–पी0एफ0एम0एस0 कोड–9505	149.66	149.66
2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना उप शीर्ष–0367–सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन मांग सं०–1 विपत्र कोड–P2401007960367, विषय शीर्ष –3106– सहायक अनुदान–गैर वेतन–पी0एफ0एम0एस0 कोड–9505	9.35	9.35
कुल	**935.36**	**935.36**
सकल योग	**2338.40**	**2338.40**

12. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक: 28.03.2017 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–32 / 2016 के पृ0सं0–36 / टि. पर प्राप्त है।

29.3.2017

E:\ABHINAV\2016-17\SMAM (Mechanization-23.02.2017)\Pradhikrit Samiti Sanlekh 25.01.2017.docx